



वर्ल्ड सामाजिक न्याय दिवस

प्रिलमिस के लिये:

वर्ल्ड सामाजिक न्याय दिवस

मेन्स के लिये:

सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों:

20 फरवरी, 2020 को वर्ल्ड सामाजिक न्याय दिवस (World Social Justice Day) मनाया गया।

वर्ष 2020 सामाजिक न्याय दिवस की थीम:

"सामाजिक न्याय प्राप्त की दशा में असमानता अन्तराल को समाप्त करना" (Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice)

सामाजिक न्याय की अवधारणा:

- सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विकास के लिये आवश्यक सदिधांत से है, जो न केवल अंतःदेशीय समानता अपितु अंतरदेशीय समानता की परिस्थितियों से भी संबंधित है।
- सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या वकिलांगता जैसे मानकों की असमानता को समाप्त करना होगा।
- संयुक्त राष्ट्र संघ 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन' (International Labour Organization- ILO) की 'नष्टिपक्ष वैश्वीकरण के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा' जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में कार्य कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सर्वसम्मति से 10 जून, 2008 को नष्टिपक्ष न्याय के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाया गया, यह वर्ष 1919 के ILO के संविधान निर्माण के बाद से इसके द्वारा अपनाए गए सदिधांतों और नीतियों में तीसरा प्रमुख प्रयास है।
- यह घोषणा वर्ष 1944 के 'फ्लिडेलफिया घोषणा' और वर्ष 1998 के 'कार्य में मौलिक सदिधांतों और अधिकारों की घोषणा' को आधार बनाता है।
- वर्ष 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के युग में ILO के जनादेश की सामाजिक न्याय की समकालिक अवधारणा को अभिव्यक्त करती है।

2008 की घोषणा का महत्त्व:

- यह वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर ILO की रिपोर्ट के मद्देनजर शुरू हुई त्रिपक्षीय परामर्श का परिणाम है।
- यह घोषणा वर्ष 1999 के बाद से ILO द्वारा वकिसति 'आदर्श कार्य अवधारणा' (Decent Work Agenda) को संस्थागत रूप प्रदान करती है।
- यह घोषणा वैश्विक वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, बहिष्कार, सामाजिक असमानता और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण एवं पूर्ण भागीदारी जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में कार्य करती है।

सामाजिक न्याय का महत्त्व:

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अधिकारों का स्रोत, सत्ता की प्रकृति तथा संविधान लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जहाँ सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को संविधान के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।
- सामाजिक न्याय की सुरक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीतिनिदेशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से भी की गई है।
- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को न केवल विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति अपितु किसी वर्ग विशेष के लिये यथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लिये विशेष व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।

भारत में संवैधानिक और अन्य संस्थागत प्रयास:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **मेनका गांधी मामले** में अनुच्छेद 21 की पुनः व्याख्या करते हुए इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ गरमिपूरण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार आदि को शामिल किया।
- अनुच्छेद 14 में '**वधिका के समक्ष समता**' और '**वधियों का समान संरक्षण**' दोनों को स्थान दिया है तथा **सकारात्मक वभिदन** अर्थात् **तर्क संगत वर्गीकरण** को स्वीकृत किया है।
- **मनिर्वा मलिस मामले (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या की कि संसद **निदेशक तत्वों** को लागू करने के लिये **मूल अधिकारों** को संशोधित कर सकती है, यद्यपि संशोधन **मूल ढाँचे** को क्षति नहीं पहुँचाते हो।

चुनौतियाँ:

- भारतीय समाज की पटिवंशीय, पतिसत्तात्मक, पतिस्थानकिता, जातिव्यवस्था जैसी वशिष्ट समस्याओं ने सामाजिक न्याय प्राप्ति के समक्ष नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं।
- '**ऑक्सफैम रपिरट**' के अनुसार, भारत और वशि्व में आर्थिक असमानता नरितर बढ़ रही है।
- '**लैंगिक अंतराल रपिरट**' के अनुसार, लैंगिक न्याय में भारत की स्थिति बिहुत दयनीय है।
- '**गति अर्थव्यवस्था**' ने शर्म क्षेत्र के समक्ष नवीन चुनौतियाँ पेश की हैं।

आगे की राह:

- हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ ही कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि मूल अधिकारों में उल्लेखित राजनैतिक न्याय के साथ ही नीतिनिदेशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति की जा सके।

स्रोत: द हट्टि